an>

Title: Need to bring to book the culprits of 1984 anti-Sikh riots and rehabilitation of victims of the riots.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : महोदय, गत शताब्दी के दौरान स्वतंत्र भारत के इतिहास में वर्ष 1984 में अल्पसंख्यक सिख समाज के कत्लेआम की घटना ने काला पृष्ठ जोड़ दिया है, जिसे इस सरकार को नई इबारत लिखकर इस काले धब्बे को धोना होगा। निर्दोष सिख नागरिकों सहित अन्य अनेक नागरिकों का खुलेआम कत्ल हुआ। काण्ड की जाँच नानावती आयोग ने की। रिपोर्ट में सैंकड़ों लोगों को उपरोक्त अपराध के मामले में आरोपित किया गया, किन्तु दण्ड दिये जाने की कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवारों को घटना के 30 साल बीतने के बाद अभी भी क्षतिपूर्ति कर सन्तोष, सांत्वना नहीं दी जा सकी। आतंकवाद के साये से भयभीत जिन नागरिकों ने स्वदेश छोड़कर विदेशों में शान्तिपूर्वक जीवन जीने की व्यवस्था की, उन्हें अभी भी स्वदेश में जीने की स्वीकृति से वंचित रखा हुआ है। मजेदार बात यह है कि स्वदेश में इन पर आपराधिक मामलों के आरोप अभी भी कोई नहीं हैं।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि नानावाती आयोग की जाँच में अपराधों में लिप्त रहे आरोपियों को दण्ड दिलाया जाये, पीड़ित परिवारों को वाजिब क्षतिपूर्ति कर उन्हें सांत्वना और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया जाये तथा विदेशों में विवशता से रह रहे निर्दोष भारतीय मूल के नागरिकों को उनकी इच्छा के अनुसार भारत में रहने की स्वीकृति देने के लिए काली सूची से बाहर किया जाये।

HON. DEPUTY SPEAKER:

*m02

Shri S.S. Ahluwalia is permitted to associate with the issue raised by Shri Prem Singh Chandumajra.